रजिस्ट्री सं डी (डी एन.)-72 REGISTERED No. D (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 523] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 30, 1985/कार्तिक 8, 1907
No 523] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 30, 1985/KARTIKA 8, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

परिवहन मंत्रालय

(भूतल परिवहन विभाग)

नई दिल्ली 30 अक्तूबर 1985

अधिसूचना

का आ 795(अ) —मोटरयान अधिनियम 1939 की धारा 24 की उप-धारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार समय-समय पर संशोधित भारत सरकार नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन

पक्ष) की अधिसूचना सं. का. आ. 539 (अ.) दिनांक 22 सितम्बर, 1979 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में :—

(1) केरल राज्य से संबंधित मद संख्या 9 की तालिका के कालम 2 में "के बी" अक्षरों के बाद "के सी" और "के डी" अक्षर जोड़े जाएं ।

(2) पंजाब राज्य से संबंधित मद संख्या 16 की तालिका के कालम 2 में "पी सी" अक्षरों के बाद "पी आई" और "पी पी" अक्षर जोड़े जाए ।

[फा. सं. टीजीएम (18)/85]

अ. प्र. सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TRANSPORT

(Department of Surface Transport)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th October, 1985

S.O. 795(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 24 of the Motor Vehicles Act, 1939, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Transport Wing) No. S.O. 539(E), dated 22nd September, 1979 as amended from time to time, namely :—

In the said notification :—

(i) in the table against item No. 9 relating to State of Kerala, in Column 2, after the group of letters "KB", the group of letters "KC" and "KD" should be added.

(ii) in the table against item No. 16 relating to State of Punjab, in Column 2 after the Group of letters "PC" the group of letters "PI" and "PP" should be added.

[File No. TGM(18)|85]

A. P. SINH, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985